राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(22)ग्रावि/नरेगा/टीएससी/2011 जयपुर, दिनांक : 5 JAN 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के संबन्ध में।**

संदर्भः– **आपका कार्यालय पत्रांक महात्मा गांधी नरेगा/अभि/11–12/9244 दिनांक 15.12.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्रांक दिनांक 28.11.2011 के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्टतः वर्णित है कि शौचालय निर्माण हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना में अधिकतम 6 अकुशल श्रमिक मानव दिवस अनुमत है, जिन पर अधिकतम राशि ₹ 714/– अनुमत है। सामग्री मद में 40 प्रतिशत तक राशि अनुमत होने के कारण अधिकतम राशि ₹ 476/– की अनुमति ही दी जा सकती है। अतः योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम ₹ 476/– ही भुगतान किया जा सकता है।

भवदीय

(एन.के.गुप्ता)
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जोधपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)